



2026:AHC-LKO:22527-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

रिट-ए संख्या - 3351 वर्ष 2026

भारत संघ द्वारा महानिदेशक , डाक विभाग,

डाक भवन, नई दिल्ली एवं 2 अन्य

....

याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

शैलेश सिंह

.... प्रतिवादीगण(गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता

: वरुण पांडे

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता

: विजयेंद्र प्रकाश त्रिपाठी

न्यायालय संख्या-1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय

माननीय न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

1. याचिकाकर्ताओं/भारत संघ के विद्वान अधिवक्ता श्री वरुण पांडे की ओर से पक्षपत्र धारक डॉ० वंदना सिंह, अधिवक्ता और प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री वी० के० त्रिपाठी को सुना ।
2. वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से भारत संघ ने दिनांक 02.07.2025 को विद्वान केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, लखनऊ द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश को चुनौती दी है।
3. वाद के तथ्य यह हैं कि प्रतिवादी ने अन्य के साथ ग्रामीण डाक सेवक के रूप में भर्ती एवं नियुक्ति के लिए विचारार्थ आवेदन किया। प्रतिवादी-मूल अभ्यर्थी सहित दस व्यक्तियों को बुलाया गया। उसे दिनांक 22.04.2015 को नियुक्त किया गया तथा उसने दिनांक 09.05.2015 को कार्यभार ग्रहण किया। वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता रहा, जब तक कि उसकी सेवाएं दिनांक 02.09.2015 के आदेश द्वारा बिना कोई कारण बताओ सूचना जारी किए समाप्त नहीं कर दी गईं। सेवा समाप्ति का आधार प्रथम यह था कि भर्ती हेतु केवल पाँच व्यक्तियों को बुलाया जाना अपेक्षित था अपितु 10 व्यक्तियों को बुलाया गया। द्वितीयतः, एक श्री सुनील कुमार यादव, जो नामित सूची में क्रम संख्या 2 पर थे, को नियुक्ति प्रस्तावित नहीं की गई अपितु प्रतिवादी-मूल अभ्यर्थी, जो क्रम संख्या 10 पर था, को उक्त नियुक्ति प्रस्तावित की गई। इन कारणों से प्रतिवादी-मूल अभ्यर्थी की सेवाएं समाप्त कर दी गईं।
4. यद्यपि, उपरोक्त याचिकाकर्ताओं द्वारा सीएटी के समक्ष दाखिल लिखित कथनों में सेवाओं को समाप्त करने के कारण थे, किन्तु ये कारण दिनांक 02.09.2015 के समाप्ति आदेश में उल्लेखित तक नहीं थे, बल्कि सेवाओं को अस्थायी प्रकृति की होने के कारण, वेतन तथा सूचना अवधि के लिए मूल भत्ता और महंगाई भत्ता की राशि के समतुल्य एक राशि प्रदान करके समाप्त किया गया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. जैसा भी हो, अधिकरण ने वाद के तथ्यों, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार किया तथा अपने निष्कर्ष अभिलिखित किए। प्रथम, यह पाया गया कि यदि याचिकाकर्ता का यह तर्क भी मान लिया जाए कि 10 के स्थान पर केवल 5 अभ्यर्थियों को ही बुलाया जाना चाहिए था, तो वस्तुस्थिति यह है कि यद्यपि इस आधार पर प्रतिवादी-मूल अभ्यर्थी की सेवाएं समाप्त की गईं, तथापि अन्य 4 व्यक्तियों की सेवाएं, जिन्हें कथित रूप से अधिकतम आवश्यक अभ्यर्थियों से अधिक बुलाया गया था, समाप्त नहीं की गईं, अतः स्पष्ट रूप से यह मनमाना तथा भेदभावपूर्ण था। इस संबंध में हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता से भी पूछा, परन्तु कोई संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जा सका। तथ्य यथावत् होने के कारण, इस आधार पर अधिकरण के निष्कर्ष में हमें कोई त्रुटि नहीं मिलती है।

6. अन्य आधार के संबंध में, अधिकरण ने इस तथ्य पर विचार किया कि श्री सुनील कुमार यादव को प्रस्ताव दिया गया था, किन्तु उन्होंने पद की प्रकृति आदि के संबंध में पूछताछ करना प्रारंभ कर दिया, जो उक्त प्रस्ताव को स्वीकार करने के प्रति उनकी अनिच्छा का संकेत था, और अंततः, दिनांक 20.10.2015 को, यद्यपि प्रतिवादी-मूल अभ्यर्थी की नियुक्ति के पश्चात्, उन्होंने प्रस्तावित अपर्याप्त वेतन के कारण उक्त प्रस्ताव को स्वीकार करने के प्रति अपनी अनिच्छा व्यक्त की। अतएव, अधिकरण ने प्रकरण में न्यायसंगत दृष्टिकोण अपनाया तथा प्रतिवादी-मूल अभ्यर्थी की सेवाओं को समाप्त करने के दोनों कारणों को अस्थिर पाते हुए, उन्होने प्रतिवादी-याचिकाकर्ता के मूल आवेदन को स्वीकार किया। यह भी पाया कि प्रतिवादी-मूल अभ्यर्थी की नियुक्ति करने के पश्चात् और तत्पश्चात् वर्ष 2015 में ही उसकी सेवा समाप्त कर देने के उपरांत, यह तर्क करना, जैसा कि अधिकरण के समक्ष किया गया था कि नामित सूची बाद में समाप्त हो गयी, निरर्थक था।

7. हम अधिकरण के निर्णय में ऐसी कोई त्रुटि नहीं पाते हैं जिससे कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अपनी असाधारण अधिकारिता के प्रयोग में हस्तक्षेप किया जाए।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

8. उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में, याचिका **खारिज** की जाती है।

31 मार्च, 2026

अखिलेश/-

(न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला) (न्यायमूर्ति राजन रॉय)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।